कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध–आदेश//

(कार्य–विभाजन में संशोधन क्र0–..16..)

क्रमांक......72........./ रीवा, दिनांक 23/अप्रैल/2024
दो–1–1/2000

सुश्री प्रिया चौहान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु), श्री युवराज दीक्षित प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु) एवं श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु) को माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 के अनुसार आगामी प्रशिक्षण हेतु स्वतंत्र न्यायालय प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा–15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–10 की उपधारा–2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 216/दो–1–1/2000 दिनांक 17.05.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :–

1. सरल कमांक 37 के पश्चात् 37–अ, सरल कमांक 42 के पश्चात् 42–अ एवं ब को निर्मित कर निम्नानुसार इबारत जोड़ी जाती है:–

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
37–अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल खण्ड रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
42–अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील मउगंज	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
42–ब	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील मउगंज	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

2. परिशिष्ट–अ की कंडिका कमांक 35 के पश्चात् 35–अ एवं कंडिका कमांक 39 के पश्चात् 39–अ एवं ब को निर्मित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क्र0	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
35–अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
39–अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज
39–ब	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

3080

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 2073 / दो–1–1 / 2000 रीवा, दिनांक 23/04/2024

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / मउगंज।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।
4. फाईलिंग काउंटर के कर्मचारी रीवा / मउगंज।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. जू0सि0ए0 / डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)